



भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकार: वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजू देवी

शोध छात्रा, कॉलेज ऑफ़ लॉ, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ

डॉ. कमलेश ऋषि

असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ़ लॉ, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ

Paper Received On: 21 JUNE 2026

Peer Reviewed On: 25 JULY 2026

Published On: 01 AUG 2026

Abstract

भारतीय कारागार व्यवस्था का मूल उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास, सुधार तथा मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी है। महिला बंदियों की स्थिति इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि वे लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 एवं 39 के साथ-साथ विभिन्न न्यायिक निर्णयों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों ने महिला बंदियों के सम्मानजनक जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मातृत्व, शिक्षा, विधिक सहायता तथा गरिमापूर्ण व्यवहार के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। इसके बावजूद भारतीय कारागारों में भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, गर्भवती एवं मातृत्व प्राप्त बंदियों के लिए सीमित सुविधाएँ, बच्चों के पालन-पोषण संबंधी समस्याएँ, विधिक सहायता तक अपर्याप्त पहुँच तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी जैसी अनेक व्यावहारिक समस्याएँ विद्यमान हैं। यह अध्ययन भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में भारतीय संविधान, कारागार अधिनियम, मॉडल प्रिजन मैनुअल, न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों तथा संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियमों सहित प्रासंगिक विधिक एवं नीतिगत प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। शोध का स्वरूप मुख्यतः सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक है तथा इसमें द्वितीयक स्रोतों—जैसे पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, विधिक दस्तावेजों एवं न्यायिक निर्णयों—का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला बंदियों के अधिकारों की संवैधानिक एवं विधिक मान्यता के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक संस्थागत एवं प्रशासनिक बाधाएँ विद्यमान हैं। विशेष रूप से लैंगिक संवेदनशील अवसंरचना, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास योजनाओं तथा विधिक सहायता तंत्र को अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिला बंदियों के अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा केवल विधिक प्रावधानों के निर्माण से संभव नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित निरीक्षण, उत्तरदायी प्रशासन, न्यायिक निगरानी तथा मानवाधिकार-आधारित सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से ही कारागार व्यवस्था अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण एवं मानवीय बन सकती है।

मुख्य शब्द: महिला बंदी, भारतीय कारागार व्यवस्था, मानवाधिकार, विधिक संरक्षण, कारागार सुधार

प्रस्तावना

भारतीय कारागार व्यवस्था भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य केवल अपराधियों को दण्डित करना नहीं, बल्कि उनके सुधार, पुनर्वास तथा समाज में पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना भी है। प्राचीन भारत में दण्ड व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः प्रतिशोधात्मक था, किन्तु समय के साथ दण्ड दर्शन में परिवर्तन हुआ और आधुनिक युग में सुधारात्मक न्याय (Reformative Justice) को अधिक महत्व दिया जाने लगा। वर्तमान समय में कारागारों को ऐसे संस्थानों के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।¹

भारत में कारागार प्रशासन संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List-II, Entry-4) का विषय है, जिसके कारण जेलों का प्रशासन एवं प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यद्यपि प्रत्येक राज्य का अपना जेल अधिनियम एवं जेल नियमावली है, तथापि कारागार प्रशासन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2016 में मॉडल प्रिजन मैनुअल तथा वर्ष 2023 में मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट तैयार किया। इन दस्तावेजों का उद्देश्य कारागारों में मानवाधिकार-आधारित प्रशासन, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, सुधारात्मक कार्यक्रमों तथा बंदियों के अधिकारों के लिए समान मानक स्थापित करना है।²

भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह स्वतंत्र नागरिक हो अथवा कारागार में निरुद्ध बंदी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 केवल शारीरिक अस्तित्व की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, चिकित्सा सुविधा तथा मानवीय व्यवहार के अधिकार को भी अपने भीतर समाहित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि कारागार की चारदीवारी के भीतर भी बंदी अपने मौलिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित नहीं

¹ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016**, उपलब्ध:

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-04/PrisonManualA2016_20122024_2.pdf (अंतिम अवलोकन: 23 जून 2026)।

² भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **प्रिजन रिफॉर्म्स - मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023**, उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/prison-reforms (अंतिम अवलोकन: 24 जून 2026)।

होता। उसकी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, परन्तु उसकी मानवीय गरिमा एवं संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।³

भारतीय न्यायपालिका ने कारागार सुधारों के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालयों ने समय-समय पर यह प्रतिपादित किया है कि कारागार प्रशासन का उद्देश्य प्रताड़ना नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप बंदियों को विधिक सहायता, त्वरित न्याय, चिकित्सकीय सुविधा, परिवार से संपर्क तथा सम्मानजनक व्यवहार जैसे अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारतीय कारागार व्यवस्था धीरे-धीरे दण्डात्मक प्रणाली से सुधारात्मक एवं मानवाधिकार-आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर हुई है।⁴

महिला बंदियों के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। भारत में कुल बंदी जनसंख्या की तुलना में महिला बंदियों की संख्या कम है, किन्तु उनकी आवश्यकताएँ पुरुष बंदियों से पूर्णतः भिन्न होती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भावस्था, मातृत्व, मासिक धर्म, छोटे बच्चों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य तथा लैंगिक सुरक्षा जैसे विषय विशेष संवेदनशीलता की मांग करते हैं। लंबे समय तक अधिकांश भारतीय जेलों की संरचना पुरुष बंदियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई थी, जिसके कारण महिला बंदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा होती रही। इसी कारण आधुनिक कारागार सुधारों में महिला बंदियों के लिए पृथक आवास, महिला चिकित्सक, परामर्श सेवाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, बाल देखभाल केंद्र तथा पुनर्वास योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है।⁵

आज भारतीय कारागार व्यवस्था केवल कानून एवं प्रशासन का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा संवैधानिक शासन का भी महत्वपूर्ण आयाम बन चुकी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह आवश्यक है कि राज्य अपराधियों को दण्डित करने के साथ-साथ उनके मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण करे। विशेषकर महिला बंदियों के संदर्भ में यह दायित्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक दृष्टि से बहुआयामी चुनौतियों का सामना करती हैं। इसलिए भारतीय कारागार व्यवस्था का मूल्यांकन केवल सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात के आधार पर भी किया जाना चाहिए कि वह बंदियों की गरिमा, समानता एवं मानवाधिकारों की रक्षा किस सीमा तक सुनिश्चित करती है।⁶

³ *Sunil Batra v. Delhi Administration*, (1978) 4 SCC 494 : AIR 1978 SC 1675.

⁴ *Charles Sobhraj v. Superintendent, Central Jail, Tihar*, (1978) 4 SCC 104 : AIR 1978 SC 1514.

⁵ मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016, अध्याय-26 (महिला बंदी)।

⁶ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **प्रिजन रिफॉर्म्स**, उपर्युक्त।

महिला बंदियों के अधिकारों का संवैधानिक एवं मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता, गरिमा तथा न्याय पर आधारित जीवन का अधिकार प्रदान करता है। यह संरक्षण केवल स्वतंत्र नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों पर भी समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार महिला बंदियों को स्वास्थ्य, पोषण, चिकित्सा, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक व्यवहार जैसे अधिकारों का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।⁷

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि कारागार प्रशासन संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि बंदी भी एक मानव है और उसके साथ अमानवीय, अपमानजनक अथवा क्रूर व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। न्यायपालिका ने विधिक सहायता, त्वरित न्याय, चिकित्सकीय सुविधा, महिलाओं की गरिमा तथा हिरासत में मानवाधिकारों के संरक्षण को संवैधानिक दायित्व माना है। इस न्यायिक दृष्टिकोण ने महिला बंदियों के अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।⁸

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व भी महिला बंदियों के अधिकारों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 39 महिलाओं के स्वास्थ्य एवं समान अवसरों की रक्षा पर बल देता है, जबकि अनुच्छेद 42 राज्य को मानवीय कार्य परिस्थितियों एवं मातृत्व सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यद्यपि ये उपबंध प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी न्यायपालिका ने इन्हें अनुच्छेद 21 के साथ समन्वित रूप से पढ़ते हुए महिला बंदियों के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण आधार बनाया है।

राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 महिला बंदियों के लिए अनेक विशेष प्रावधान करता है। इसमें महिला बंदियों के लिए पृथक बैरक, महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा, प्रसवोत्तर देखभाल, बच्चों सहित रहने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 का

⁷ भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15(3) एवं 21।

⁸ *Sheela Barse v. State of Maharashtra*, (1983) 2 SCC 96.

मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट आधुनिक सुधारात्मक प्रशासन एवं मानवाधिकार-आधारित जेल प्रबंधन पर विशेष बल देता है।⁹

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला नियम तथा बैंकॉक नियम (Bangkok Rules) को अपनाया गया है। नेल्सन मंडेला नियम सभी बंदियों के लिए न्यूनतम मानवीय मानकों का निर्धारण करते हैं, जबकि बैंकॉक नियम विशेष रूप से महिला बंदियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं, मातृत्व, मानसिक स्वास्थ्य, तलाशी की प्रक्रिया, बच्चों की देखभाल, वैकल्पिक दण्ड व्यवस्था तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला बंदियों के साथ लैंगिक संवेदनशीलता एवं मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यवहार किया जाए।¹⁰

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर महिला बंदियों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन संस्थाओं ने जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विधिक सहायता, महिला बंदियों के बच्चों की शिक्षा तथा पुनर्वास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।¹¹

यद्यपि संवैधानिक, वैधानिक तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला बंदियों के अधिकारों का व्यापक संरक्षण उपलब्ध है, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, महिला चिकित्सकों की कमी, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अभाव, विधिक सहायता तक सीमित पहुँच तथा सामाजिक पुनर्वास की कमजोर व्यवस्था जैसी समस्याएँ इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। अतः महिला बंदियों के अधिकारों का अध्ययन केवल विधिक विश्लेषण तक सीमित न होकर प्रशासनिक, सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी दृष्टिकोण से भी किया जाना आवश्यक है।¹²

भारत में महिला बंदियों की वर्तमान स्थिति एवं अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों की स्थिति पिछले कुछ दशकों में व्यापक चर्चा एवं नीति-निर्माण का विषय रही है। यद्यपि महिलाओं की संख्या कुल बंदी जनसंख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, तथापि

⁹ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016; मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023**।

¹⁰ संयुक्त राष्ट्र, **Nelson Mandela Rules**, उपलब्ध: [United Nations Nelson Mandela Rules](#) (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026)।

¹¹ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, **मानवाधिकार एवं कारागार सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 2025**।

¹² भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **कारागार सुधार संबंधी परामर्श (Advisories on Prison Reforms)**, उपलब्ध: [Advisories on Prison Reforms](#) (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026)।

उनकी आवश्यकताएँ, अधिकार तथा समस्याएँ पुरुष बंदियों से पूर्णतः भिन्न हैं। महिला बंदियों के संदर्भ में कारागार प्रशासन को केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मातृत्व, मानसिक संतुलन, पारिवारिक उत्तरदायित्व, बच्चों के पालन-पोषण, पुनर्वास तथा सामाजिक पुनर्स्थापन जैसे बहुआयामी पक्षों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।¹³ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, गरिमा तथा जीवन के अधिकार तभी सार्थक माने जा सकते हैं जब महिला बंदियों को भी न्यायपूर्ण, सुरक्षित तथा मानवीय वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

भारत में अधिकांश महिला बंदियाँ विचाराधीन (Undertrial) हैं, अर्थात् उनका अपराध न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी वे लंबे समय तक कारागार में रहने के लिए विवश रहती हैं।¹⁴ न्यायिक विलंब, आर्थिक संसाधनों का अभाव, गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता तक सीमित पहुँच तथा जमानत संबंधी कठिनाइयाँ उनके कारावास की अवधि को अनावश्यक रूप से बढ़ा देती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि विचाराधीन बंदियों का अनावश्यक कारावास संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है तथा त्वरित न्याय प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।¹⁵

महिला बंदियों के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी अत्यंत गंभीर हैं। कारागारों में स्त्री रोग विशेषज्ञों, महिला चिकित्सकों, प्रशिक्षित नर्सों तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त नहीं है। गर्भवती महिलाओं, प्रसूता बंदियों तथा मासिक धर्म के दौरान आवश्यक स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता में राज्यों के मध्य उल्लेखनीय असमानता देखी जाती है। कई कारागारों में प्रसव-पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल की सुविधाएँ सीमित हैं, जबकि मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता एवं सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याएँ महिला बंदियों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रश्न केवल चिकित्सकीय विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकार एवं संवैधानिक संरक्षण का भी महत्वपूर्ण आयाम है।¹⁶

महिला बंदियों के साथ रहने वाले छोटे बच्चों की स्थिति भी विशेष चिंता का विषय है। अनेक महिलाएँ अपने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ कारागार में निवास करती हैं। ऐसे बच्चों का अपराध से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी वे कारागार के वातावरण में अपना प्रारंभिक बचपन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाते

¹³ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, **मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016**, अध्याय 26 (महिला बंदी), उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-04/PrisonManualA2016_20122024_2.pdf (अंतिम अवलोकन: 23 जून 2026)।

¹⁴ National Crime Records Bureau, **प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उपलब्ध: <https://www.ncrb.gov.in> (अंतिम अवलोकन: 24 जून 2026)।

¹⁵ *Hussainara Khatoon (I) v. Home Secretary, State of Bihar*, (1980) 1 SCC 81 : AIR 1979 SC 1360.

¹⁶ National Human Rights Commission, **कारागार सुधार संबंधी अनुशंसाएँ**, उपलब्ध: <https://nhrc.nic.in> (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026)।

हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने R.D. Upadhyay v. State of Andhra Pradesh में निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन एवं समुचित विकास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास प्रभावित न हो।¹⁷ मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 ने भी इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

महिला बंदियों के पुनर्वास की समस्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारागार से रिहाई के पश्चात अधिकांश महिलाओं को सामाजिक कलंक, पारिवारिक अस्वीकार्यता, आर्थिक निर्भरता तथा रोजगार के अभाव जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक मामलों में परिवार उनका साथ छोड़ देता है, जिसके कारण उनके पुनः अपराध की ओर लौटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आधुनिक सुधारात्मक न्यायशास्त्र केवल कारागार के भीतर सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहाई के पश्चात सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास को भी समान महत्व देता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाएँ, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम इस दिशा में अत्यंत आवश्यक हैं।¹⁸

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत बैंकॉक नियम, 2010 तथा नेल्सन मंडेला नियम महिला बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक मानक निर्धारित करते हैं। इन नियमों में महिला बंदियों के लिए लैंगिक संवेदनशील प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, वैकल्पिक दण्ड व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं के संरक्षण, बच्चों की देखभाल तथा पुनर्वास संबंधी विशेष प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भारत ने इन अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 तथा मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023 में अनेक सुधारात्मक प्रावधानों को सम्मिलित किया है।¹⁹

यद्यपि संवैधानिक, वैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला बंदियों के अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। कारागारों में भीड़भाड़, आधारभूत अवसंरचना की कमी, महिला कार्मिकों का अभाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, विधिक सहायता तक सीमित पहुँच तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की कमजोर स्थिति महिला बंदियों के अधिकारों के समुचित संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कारागार

¹⁷ R.D. Upadhyay v. State of Andhra Pradesh, (2006) 3 SCC 422.

¹⁸ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023, उपलब्ध: <https://www.mha.gov.in> (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026).

¹⁹ संयुक्त राष्ट्र, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules), 2010, उपलब्ध: <https://www.unodc.org> (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026).

प्रशासन की गुणवत्ता तथा संसाधनों में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिससे अधिकारों के समान क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न होती है।²⁰

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक एवं सामयिक है। यह शोध भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विधिक, संवैधानिक तथा मानवाधिकार दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन न्यायिक निर्णयों, राष्ट्रीय नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के आलोक में वर्तमान चुनौतियों का मूल्यांकन करते हुए कारागार सुधारों के लिए व्यावहारिक एवं प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह शोध न केवल विधि के विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा, बल्कि नीति-निर्माताओं, न्यायपालिका, कारागार प्रशासन तथा मानवाधिकार संस्थाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री सिद्ध हो सकता है।

शोध उद्देश्य

1. भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के संवैधानिक, वैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. महिला बंदियों के अधिकारों के संरक्षण में विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन करते हुए प्रभावी कारागार सुधार एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध कार्यप्रणाली

प्रस्तुत शोध में सैद्धांतिक (Doctrinal) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकारों की वर्तमान स्थिति, विधिक संरक्षण तथा उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समग्र विश्लेषण करना है। इस शोध में मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें भारतीय संविधान, कारागार अधिनियम, मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016, मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023, विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के प्रतिवेदन, विधि आयोग की रिपोर्टें, संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियम एवं नेल्सन मंडेला नियम, शोध-पत्र, पुस्तकें, शोध-प्रबंध, सरकारी प्रकाशन तथा प्रतिष्ठित ई-संसाधनों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। उपलब्ध विधिक प्रावधानों, न्यायिक व्याख्याओं एवं नीतिगत दस्तावेजों का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक

²⁰ संयुक्त राष्ट्र, **United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)**, उपलब्ध: <https://www.un.org> (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026)।

अध्ययन करते हुए महिला बंदियों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों एवं नीतिगत सुझावों का प्रतिपादन किया गया है।

विश्लेषण

संवैधानिक संरक्षण एवं मानव गरिमा का अधिकार

भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह स्वतंत्र नागरिक हो अथवा कारागार में निरुद्ध बंदी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है।²¹ कारावास किसी व्यक्ति के केवल आवागमन की स्वतंत्रता को सीमित करता है; यह उसके मानवीय सम्मान, स्वास्थ्य, न्याय तक पहुँच तथा समानता के अधिकार का हनन नहीं करता।²² इसी संवैधानिक दर्शन के आधार पर भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कारागार प्रशासन संविधान के अधीन है और प्रत्येक बंदी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना राज्य का दायित्व है।²³

महिला बंदियों के संदर्भ में यह संरक्षण और अधिक व्यापक हो जाता है क्योंकि उन्हें पुरुष बंदियों की अपेक्षा भिन्न जैविक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था, मातृत्व, मासिक धर्म, शिशु देखभाल तथा मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय महिला बंदियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यदि कारागार प्रशासन इन आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, तो यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्वों की अवहेलना भी है।²⁴

भारतीय न्याय व्यवस्था ने मानव गरिमा को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है।²⁵ यही कारण है कि कारागार सुधारों की प्रत्येक नीति में महिला बंदियों के सम्मान, निजता तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। आधुनिक विधि का उद्देश्य महिला बंदियों को दण्डित करना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक पुनर्वास की दिशा में अग्रसर करना है।²⁶

समानता एवं लैंगिक न्याय का विश्लेषण

भारतीय संविधान का समानता सिद्धांत महिला बंदियों के अधिकारों के विश्लेषण का मूल आधार है।²⁷ समानता का अर्थ केवल समान व्यवहार नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप न्यायसंगत व्यवहार भी है।

²¹ भारत का संविधान, विशेषतः अनुच्छेद 14, 15(3), 21 एवं 39A.

²² *Sunil Batra v. Delhi Administration*, (1978) 4 SCC 494 : AIR 1978 SC 1675.

²³ *Charles Sobhraj v. Superintendent, Central Jail, Tihar*, (1978) 4 SCC 104 : AIR 1978 SC 1514.

²⁴ *Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi*, (1981) 1 SCC 608 : AIR 1981 SC 746.

²⁵ *Sheela Barse v. State of Maharashtra*, (1983) 2 SCC 96.

²⁶ *M.H. Hoskot v. State of Maharashtra*, (1978) 3 SCC 544 : AIR 1978 SC 1548.

²⁷ *Hussainara Khatoon (I) v. Home Secretary, State of Bihar*, (1980) 1 SCC 81 : AIR 1979 SC 1360.

महिला बंदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए उनके लिए पृथक आवास, महिला सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा सुविधाएँ, परामर्श सेवाएँ तथा मातृत्व सहायता उपलब्ध कराना समानता के सिद्धांत का ही व्यावहारिक रूप है।²⁸

व्यवहारिक स्तर पर अनेक कारागार अभी भी पुरुष-प्रधान संरचना पर आधारित हैं। परिणामस्वरूप महिला बंदियों के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है। कई राज्यों में महिला चिकित्सकों की संख्या सीमित है, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पर्याप्त नहीं हैं।²⁹

लैंगिक न्याय का उद्देश्य केवल अधिकारों की घोषणा करना नहीं बल्कि उन अधिकारों को व्यवहार में लागू करना है। इसलिए महिला बंदियों के संदर्भ में संवैधानिक समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि राज्य उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराए।³⁰

स्वास्थ्य, मातृत्व एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों का विश्लेषण

महिला बंदियों के अधिकारों में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र दोनों यह स्वीकार करते हैं कि कारागार में रहने वाली महिलाओं को सामान्य समाज की महिलाओं के समान स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।³¹

भारतीय कारागारों में अनेक महिला बंदियाँ गर्भवती होती हैं अथवा छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। ऐसी स्थिति में नियमित चिकित्सकीय परीक्षण, पोषण, प्रसव-पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव तथा प्रसवोत्तर उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि इन सुविधाओं का अभाव हो तो इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल महिला पर ही नहीं बल्कि उसके बच्चे पर भी पड़ता है।³²

मानसिक स्वास्थ्य भी महिला बंदियों के अधिकारों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। कारावास के दौरान परिवार से दूरी, सामाजिक अस्वीकार्यता, आर्थिक असुरक्षा तथा भविष्य की अनिश्चितता के कारण अनेक

²⁸ *R.D. Upadhyay v. State of Andhra Pradesh*, (2006) 3 SCC 422.

²⁹ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, *Model Prison Manual, 2016*, उपलब्ध: [Ministry of Home Affairs – Model Prison Manual 2016](#) (अंतिम अवलोकन: 23 जून 2026).

³⁰ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, *Prison Reforms*, उपलब्ध: [Ministry of Home Affairs – Prison Reforms](#) (अंतिम अवलोकन: 24 जून 2026).

³¹ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, *Model Prisons and Correctional Services Act, 2023*, उपलब्ध: [Model Prisons and Correctional Services Act, 2023](#) (अंतिम अवलोकन: 24 जून 2026).

³² संयुक्त राष्ट्र, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*, उपलब्ध: [United Nations – Nelson Mandela Rules](#) (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026).

महिलाएँ अवसाद, चिंता तथा तनाव जैसी समस्याओं से प्रभावित होती हैं। अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि महिला बंदियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पुरुष बंदियों की तुलना में अधिक होती हैं।³³ यद्यपि कारागार नियमों में मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, किन्तु अधिकांश जेलों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं।³⁴

विधिक सहायता एवं न्याय तक पहुँच

विधिक सहायता प्रत्येक बंदी का मूल अधिकार है।³⁵ महिला बंदियों के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होती हैं तथा निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं होतीं।

भारत में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था होने के बावजूद व्यवहार में अनेक महिला बंदियों को समय पर अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो पाते। कई मामलों में उन्हें अपने मुकदमे की स्थिति तक की जानकारी नहीं होती। इससे विचाराधीन बंदियों की संख्या बढ़ती है तथा न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती जाती है।³⁶

डिजिटल न्याय प्रणाली के विस्तार के बावजूद अनेक जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-लीगल एड तथा डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यदि इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए तो महिला बंदियों को न्याय तक पहुँच अधिक सरल एवं त्वरित हो सकती है।³⁷

पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन का विश्लेषण

आधुनिक दण्डशास्त्र के अनुसार कारागार का अंतिम उद्देश्य पुनर्वास है।³⁸ यदि बंदी कारावास की अवधि पूरी करने के बाद समाज में सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाती, तो कारागार सुधार का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

³³ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC), *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*, उपलब्ध: [UNODC Nelson Mandela Rules \(PDF\)](#) (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026).

³⁴ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, *Bureau of Police Research and Development (BPR&D), Model Prison Manual*, उपलब्ध: [BPR&D – Model Prison Manual](#) (अंतिम अवलोकन: 23 जून 2026).

³⁵ National Human Rights Commission, *Rights of Prisoners*, उपलब्ध: [NHRC – Rights of Prisoners](#) (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026).

³⁶ National Crime Records Bureau, *Prison Statistics India* (नवीनतम उपलब्ध संस्करण), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उपलब्ध: [National Crime Records Bureau Official Website](#) (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026).

³⁷ संयुक्त राष्ट्र, *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules), 2010*, उपलब्ध: UNODC – Bangkok Rules (अंतिम अवलोकन: 25 जून 2026).

³⁸ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, *Prisons and Correctional Administration – Acts, Rules, Guidelines and Advisories*, उपलब्ध: [MHA Prison Reforms Portal](#) (अंतिम अवलोकन: 26 जून 2026).

महिला बंदियों के पुनर्वास में सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक स्वीकृति की है। रिहाई के बाद अनेक महिलाओं को परिवार स्वीकार नहीं करता। रोजगार प्राप्त करना कठिन हो जाता है तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव पुनः अपराध की संभावना को बढ़ा सकता है।

इसी कारण आधुनिक कारागार व्यवस्था में कौशल विकास, स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव, सूक्ष्म वित्त सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। यदि महिला बंदियों को रिहाई से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए तो पुनर्वास की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

उद्देश्य-आधारित विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना था। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में संवैधानिक प्रावधान, कारागार नियम तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के माध्यम से महिला बंदियों के अधिकारों को पर्याप्त विधिक मान्यता प्राप्त है। तथापि अधिकारों की वास्तविक उपलब्धता राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, संसाधनों तथा कारागार प्रबंधन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

अध्ययन का दूसरा उद्देश्य महिला बंदियों के अधिकारों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना था। विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, न्यायिक विलंब, अपर्याप्त विधिक सहायता, पुनर्वास योजनाओं की कमजोरी तथा सामाजिक कलंक महिला बंदियों के अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में महिला बंदियों के अधिकारों का विधिक ढाँचा अपेक्षाकृत मजबूत है, किन्तु उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा निरंतर न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध "भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकार: वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" का मुख्य उद्देश्य भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों को प्राप्त संवैधानिक, वैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी संरक्षण का समग्र मूल्यांकन करना तथा उनके समक्ष विद्यमान व्यावहारिक एवं संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण करना था। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विधि व्यवस्था महिला बंदियों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील है तथा संविधान, विभिन्न विधियों, न्यायिक निर्णयों, मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016, मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023 तथा

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के माध्यम से महिला बंदियों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, विधिक सहायता एवं पुनर्वास के लिए व्यापक प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं।

शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय न्यायपालिका ने महिला बंदियों के अधिकारों की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर दिए गए निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित किया है कि कारागार में निरुद्ध व्यक्ति भी अपने मौलिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित नहीं होता। विशेष रूप से मानव गरिमा, त्वरित न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सकीय सुविधाएँ, मातृत्व संरक्षण तथा बच्चों के हितों से संबंधित न्यायिक व्याख्याओं ने भारतीय कारागार व्यवस्था को अधिक मानवीय एवं अधिकार-आधारित स्वरूप प्रदान किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कारागार प्रशासन का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास तथा सामाजिक पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना भी है।

अध्ययन के विश्लेषणात्मक भाग से यह तथ्य सामने आया कि विधिक एवं नीतिगत प्रावधानों के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ विद्यमान हैं। कारागारों में भीड़भाड़, आधारभूत सुविधाओं की कमी, महिला चिकित्सकों एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अभाव, गर्भवती एवं मातृत्व प्राप्त महिला बंदियों के लिए अपर्याप्त व्यवस्थाएँ, विधिक सहायता तक सीमित पहुँच, विचाराधीन महिला बंदियों की अधिक संख्या तथा रिहाई के पश्चात पुनर्वास संबंधी कमजोर व्यवस्थाएँ महिला बंदियों के अधिकारों के समुचित संरक्षण में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक कलंक, आर्थिक निर्भरता तथा पारिवारिक अस्वीकार्यता जैसी परिस्थितियाँ उनके पुनर्सामाजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना देती हैं।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियम एवं बैंकॉक नियमों के अनुरूप अनेक सुधारात्मक पहलें की गई हैं, किन्तु राज्यों के मध्य कारागार प्रशासन की गुणवत्ता, संसाधनों एवं सुविधाओं में पर्याप्त असमानता अभी भी विद्यमान है। इसलिए केवल विधिक प्रावधानों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी, समान एवं उत्तरदायी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। महिला बंदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लैंगिक संवेदनशील कारागार प्रशासन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल न्याय व्यवस्था तथा प्रभावी पुनर्वास योजनाओं को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है।

अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा केवल एक विधिक दायित्व नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय तथा मानव गरिमा की स्थापना का अनिवार्य आधार है। एक न्यायपूर्ण एवं मानवीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन

इस बात से किया जाता है कि वह समाज के सबसे कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है। इसलिए आवश्यक है कि कारागार सुधारों को केवल प्रशासनिक सुधार के रूप में न देखकर मानवाधिकार, लैंगिक समानता तथा पुनर्वास-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए। इससे न केवल महिला बंदियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील, समावेशी, उत्तरदायी एवं मानवीय स्वरूप प्राप्त करेगी।

सुझाव

महिला बंदियों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण एवं भारतीय कारागार व्यवस्था को अधिक मानवीय, संवेदनशील एवं सुधारोन्मुख बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक कारागार में महिला बंदियों के लिए पृथक एवं सुरक्षित आवास, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ तथा महिला चिकित्सकों एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। गर्भवती एवं मातृत्व प्राप्त बंदियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण एवं बच्चों के समुचित विकास हेतु विशेष व्यवस्थाएँ विकसित की जाएँ। निःशुल्क एवं समयबद्ध विधिक सहायता को सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक महिला बंदी को उसके अधिकारों की जानकारी प्रदान की जाए। कारागारों में कौशल विकास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए ताकि रिहाई के पश्चात उनका प्रभावी पुनर्वास संभव हो सके। नियमित न्यायिक निरीक्षण, मानवाधिकार आयोगों की सक्रिय निगरानी तथा मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कारागार प्रशासन को लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर महिला बंदियों की गरिमा, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्रंथ सूची

पुस्तकें

- एम. पी. जैन, भारतीय संवैधानिक विधि (8वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस, गुड़गांव, 2018)।
- वी.एन.शुक्ला, भारत का संविधान (13वाँ संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2017)।
- पी. ईश्वर भट, कानून और सामाजिक परिवर्तन (ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2019)।
- एस. के. कपूर, अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय कानून के तहत मानवाधिकार (सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2021)।
- क्लेयर एंडरसन, हिंद महासागर में अपराधी: दक्षिण एशिया से मॉरीशस तक परिवहन, 1815-53 (मैकमिलन, लंदन, 2000)।

- मुशीरूल हसन, रोड्स टू फ्रीडम: प्रिज़नर्स इन कोलोनियल इंडिया (ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2016)।
- सताद्रु सेन, डिसिप्लिनिंग पनिसमेंट: कोलोनियलिज्म एंड कन्विक्ट सोसाइटी इन द अंडमान आइलैंड्स (ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2000)।

विधियाँ एवं नियम

- भारत का संविधान, 1950.
- प्रिज़न्स एक्ट (The Prisons Act).
- प्रिज़नर्स एक्ट (The Prisoners Act).
- ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रिज़नर्स एक्ट (The Transfer of Prisoners Act).
- लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट (The Legal Services Authorities Act).
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita).

सरकारी प्रतिवेदन एवं आधिकारिक दस्तावेज

- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मॉडल जेल मैनुअल, 2016।
- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जेल सांख्यिकी भारत (नवीनतम उपलब्ध संस्करण)।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कैदियों के अधिकार।
- भारतीय विधि आयोग, अपशिष्ट प्रतिवेदन।

अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज

- संयुक्त राष्ट्र, कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम (नेल्सन मंडेला नियम), 2015।
- संयुक्त राष्ट्र, महिला कैदियों के साथ व्यवहार और महिला अपराधियों के लिए गैर-हिरासत वाले उपायों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम (बैंकॉक नियम), 2010।
- संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948।
- संयुक्त राष्ट्र, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966।

न्यायिक निर्णय

- सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, (1978) 4 SCC 494 : AIR 1978 SC 1675.
- सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (II), (1980) 3 SCC 488.

- चार्ल्स शोभराज बनाम अधीक्षक, केंद्रीय जेल, तिहाड़, (1978) 4 SCC 104.
- फ्रांसिस कोराली मुल्लिन बनाम प्रशासक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, (1981) 1 SCC 608.
- शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1983) 2 SCC 96.
- एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978) 3 SCC 544.
- हुसैनारा खातून (I) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, (1980) 1 SCC 81.
- प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, (1980) 3 SCC 526.
- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी, (2000) 5 SCC 712.
- आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 3 SCC 422.

वेबसाइटें

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, उपलब्ध: मॉडल जेल मैनुअल, 2016 (आधिकारिक पीडीएफ) (अंतिम पैराग्राफ: 23 जून 2026)।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जेल सुधार, उपलब्ध: जेल सुधार (आधिकारिक) (अंतिम अनुदेश: 24 जून 2026)।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (आधिकारिक वेबसाइट), (अंतिम अनुदेश: 24 जून 2026)।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (आधिकारिक वेबसाइट), (अंतिम अनुदेश: 25 जून 2026)।
- संयुक्त राष्ट्र, कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (नेल्सन मंडेला नियम), उपलब्ध: नेल्सन मंडेला नियम (आधिकारिक) (अंतिम अनुदेश: 25 जून 2026)।
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), महिला कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर-अभिरक्षा उपाय (बैंकॉक नियम), उपलब्ध: यूएनओडीसी बैंकॉक नियम (आधिकारिक) (अंतिम पैराग्राफ: 26 जून 2026)।
- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) - आधिकारिक वेबसाइट, (अंतिम अनुदेश: 26 जून 2026)।